(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I, में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

<u>सार्वजनिक सूचना सं0 54/2015–20</u>
नई दिल्ली, दिनांकः 5 जनवरी, 2016

विषयः परिशिष्ट 2ड. के तहत सूचीबद्ध करना–उद्गम का प्रमाण–पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियां।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसका पंजीकृत कार्यालय IIए भवन, विभूति खण्ड, फेज–II, गोमती नगर, लखनऊ–226010 में है, को इसकी निम्नलिखित शाखा से उद्गम का प्रमाण–पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:–

मैसर्स भारतीय उद्योग परिसंघ
मं0 सं0 एल–323/ए–एनएच–8
महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110037
वेबसाइटः http://iiaonline.in
ई–मेलः iia@iiaonline.in

2. तदनुसार, उपरोक्त एजेंसी का नाम एफटीपी 2015–2020 के परिशिष्ट और आयात–निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. (उद्गम का प्रमाण–पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची) में क्रम सं0 8 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड) में जोड़ा जाता है।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**
मैसर्स भारतीय उद्योग परिसंघ के नई दिल्ली स्थित शाखा कार्यालय को एफटीपी के परिशिष्ट 2ड. के तहत उद्गम का प्रमाण–पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/16/एएम 12/पीसी–2(बी) से जारी)